

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश सं०- 261, दिनांक- 22.03.2017 तथा आवंटनादेश सं०- 262, दिनांक- 22.03.2017 की कंडिका- 6(i) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

“नगर निगम, बिहारशरीफ की योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा कराया जायेगा”।

2. विभागीय राज्यादेश सं०- 262, दिनांक- 22.03.2017 तथा आवंटनादेश सं०- 263, दिनांक- 22.03.2017 की कंडिका- 7(i) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

“नगर निगम, बिहारशरीफ की योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा कराया जायेगा”।

3. उक्त दोनों राज्यादेशों द्वारा नगर निगम, बिहारशरीफ की स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित राशि की निकासी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा करने के पश्चात् राशि का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा को कर दिया जायेगा।

4. उक्त राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

(Handwritten Signature)
25-3-17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2016 २२६६ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 25/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहारशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
25-3-17
सरकार के विशेष सचिव।